

से मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम सीहोर जिले के गुडलिया पहुंची। गुडलिया कारवाई करते हुए पुलिस नाबालिग बालिका को आरोपी राजकुमार वरकड़े, पिता सतो वरकड़े, उम्र 20 वर्ष, निवासी बरेली के कब्जे से सुकुशल मुक्त करवाए। इसके तत्काल बाद आरोपी राजकुमार वरकड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बालिका के कथनों और विवेचन में सामने आए अस्थ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी नाबालिग को बहरना-फुसलाव करने से साथ ले जाकर उसे का शारीरिक संबंध बनाए थे।